न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 03/2016

बउनवान

बाबूलाल उम्र 61 साल पुत्र श्री छोटूलाल जाति हरिजन, निवासी श्रीनाल तहसील मांगरोल, जिला बारां (राज0) (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां (राज0) (रेंस्पोडेंट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट
विरूद्ध इंतकाल नंबर 638 दिनांक 28.09.2012

उपस्थिति :— 1. श्री महेश प्रकाश गौतम एडवोकेट (अपीलांट)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 24.05.2024

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नंबर 1032 रकबा 0.64 है0 ग्राम तिसाया तहसील मांगरोल अपीलांट के कब्जे काश्त की है। उक्त आराजीयात अपीलांट को दिनांक 21.06.1989 में 1000/— रूपये प्रतिबीघा की दर से कीमतन आवंटित हुई थी, तथा उसी वक्त उक्त आराजी पर दखल भी दे दिया था तभी से अपीलांट उक्त आवंटनशुदा आराजी पर काबिज काश्त है। आवंटनशुदा आराजी के पुराने खसरा नंबर 625 तथा नये खसरा नंबर 1032 है। अपीलांट द्वारा कीमतन आवंटन राशि 3700/— रूपये व 300/— रूपये दिनांक 28.09.2012 व 28.07.1989 को जमा करवा दी गई है। तथा गैरखातेदारी प्राप्त करने हेतु तहसीलदार मांगरोल के यहां दिनांक 27.07.2007 को आवेदन भी कर दिया था। श्रीमान के आदेश क्रमांक एफ—5/429/राजस्व/10/2630—36 दिनांक 15.02.2011 को खसरा नंबर 223/1125 रकबा 5.21 है0 मे से 1.60 है0 भूमि राजकीय माध्यमिक विद्यालय तिसाया के खेल मैदान हेतु आवंटित की गई थी जो कि चारागाह भूमि थी। इसी के साथ चारागाह भूमि के कम हुए रकबे की क्षतिपूर्ति हेतु खसरा नंबर 1032 रकबा 1.78 है0 मे से 1.60 है0 भूमि चारागाह दर्ज कर दी गई जिसका इंतकाल नंबर 638 दिनांक 28.09.2012 को तहसीलदार मांगरोल द्वारा पटवारी हल्का के जांच रिपोर्ट के बाद तस्दीक किया गया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। खसरा नंबर 1032 में से 0.64 है0 भूमि अपीलांट के आवंटनशुदा कब्जे काश्त की भूमि थी। अतः इंतकाल नंबर 638 खारिज योग्य है। इंतकाल नंबर 638 खोलते समय पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाकर वस्तुस्थिति जांच नही की गई ना ही आस—पास के खेत वालों से कोई जानकारी ली गई। मात्र श्रीमान के आदेश की पूर्ति हेतु गलत तौर पर अपीलांट की कब्जेशुदा आवंटित काश्तकारी की आराजी को गलत तौर पर चारागाह भूमि में दर्ज कर दिया गया है। वर्तमान में भी अपीलांट उक्त आराजी पर काबिज काश्त है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर इंतकाल नंबर 638 दिनांक 28.09.2012 निरस्त फरमाया जावें। तथा अपीलांट की आराजी खसरा नंबर 1032 रकबा 0.64 है. उसके खाते राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कि[illegible] रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मू[illegible] अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर हमने बहस उभयप[illegible]न अभिभाषक [illegible]लांट एवं पेरोकार सरकार की सुनी।

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.06.19 12:32:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आराजी खसरा नंबर 1032 रकबा 0.64 है0 ग्राम तिसाया तहसील मांगरोल अपीलांट को दिनांक 21.06.1989 को 1000/– रूपये प्रतिबीघा की दर से कीमतन आवंटित हुई थी। अपीलांट द्वारा आवंटन राशि 3700/– रूपये दिनांक 28.09.2012 को एवं 300/– रूपये 28.07.1989 को जमा करवा दिये थे। श्रीमान जिला कलक्टर, बारां के आदेश दिनांक 15.02.2011 द्वारा खसरा नंबर 223/1125 रकबा 5.21 है0 मे से 1.60 है0 किस्म चारागाह भूमि राजकीय माध्यमिक विद्यालय तिसाया के खेल मैदान हेतु आवंटित किये जाने पर इसकी क्षतिपूर्ति हेतु खसरा नंबर 1032 रकबा 1.78 है0 मे से 1.60 है0 भूमि चारागाह दर्ज कर दी गई। जबकी खसरा नंबर 1032 में से 0.64 है0 भूमि अपीलांट की आवंटनशुदा कब्जे काश्त की भूमि थी। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम तिसाया का इंतकाल नंबर 638 दिनांक 28.09.2012 निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट को आवंटित आराजी खसरा नंबर 1032 रकबा 0.64 है. भूमि अपीलांट के खाते दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने अभिभाषक अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये कथन किया कि अपीलांट ने स्वंय अपील में अंकित किया है कि ग्राम तिसाया की आराजी हाल खसरा नंबर 1032 रकबा 0.64 है. उसको कीमतन आवंटित की गई थी तथा उसके द्वारा दिनांक 28.07.1989 को 300/– रूपये एवं दिनांक 28.09.2012 को 3700/– जमा करवाये थे। पत्रावली में संलग्न नकल आवंटन पत्रावली अनुसार अपीलांट को 3700/–रूपये मूल राशि तथा 11968/– रूपये सूद कुल 15688/– रूपये जमा करवाने थे। परन्तु अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने की तिथि तक मात्र 4000/– रूपये जमा करवाये हैं, जिनमें से भी 3700/– रूपये तो 23 वर्ष पश्चात जमा करवाये हैं। तथा 11688/– रूपये तथा अपील प्रस्तुत किये जाने के बाद से अब तक का सूद अपीलांट की ओर आज भी बाकी है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस उभय पक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है।

चूंकि अपीलांट को प्रश्नगत आराजी दिनांक 21.06.89 को कीमतन आवंटित की गई थी। परन्तु अपीलांट द्वारा दिनांक 28.07.1989 को 300/– रूपये जमा करवाने के 23 वर्ष बाद तक कोई राशि जमा नही करवाई। इसी कारण अपीलांट को हुये आवंटन का अमल राजस्व रेकार्ड में नहीं हुआ। तथा उक्त आराजी की किस्म राजस्व रेकार्ड में गै.मु. बेहड़ की अंकित रही। जिसे जिला कलक्टर, बारां ने अपने आदेश क्रमांक एफ–4(5)(429) राजस्व/10/2629 दिनांक 15.02.2011 से उक्त आराजी को राजकीय माध्यमिक विद्यालय तिसाया के खेल मैदान हेतु आवंटित चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति के लिये गै.मु. बेहड़ भूमि को चारागाह दर्ज करने का आदेश पारित किया। तथा अपीलाधीन नामांतरण उक्त आदेश की पालना में खोला जाकर तस्दीक किया गया है जिसमें कोई त्रुटि होना नहीं पाया जाता है। परिणामस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होना पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.06.19 12:32:34 IST
Reason: SelfAttested

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर,बारां